

लोक निर्माण ब्यूरो ठेका एजेंसी के लिए गाइड

ठेका एजेंसी की जिम्मेदारियां

ठेका एजेंसी (क्षेत्राधिकार विभाग) में शामिल हैं:

- राज्य विभाग, एजेंसी, बोर्ड या कमीशन
- कोई देश, शहर, टाउन या गाँव
- कोई स्कूल जिला, बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन या बोर्ड ऑफ़ कोआपरेटिव एजुकेशनल सर्विसेज़
- कोई सीवर, जल, आग, प्रगति और अन्य जिला कॉर्पोरेशन
- कोई सार्वजनिक लाभ कॉर्पोरेशन
- सार्वजनिक कार्य ठेका प्रदान करने वाला कोई सार्वजनिक प्राधिकरण

एक सार्वजनिक कार्य ठेका प्रदान करने वाली ठेका एजेंसी को एक सार्वजनिक कार्य परियोजना पर नियोजित श्रमिकों को देय वेतन और पूरक की प्रति घंटा दरों को सूचीबद्ध करते हुए एक प्रचलित दर शेड्यूल प्राप्त करनी चाहिए। शेड्यूल प्राप्त करने के लिए, लोक निर्माण ब्यूरो को मेल, फैक्स या ऑनलाइन "मजदूरी और पूरक जानकारी के लिए अनुरोध" फॉर्म (PW-39) सबमिट कर। प्रचलित दर शेड्यूल को दिए जाने वाले ठेकों के विनिर्देशों में शामिल किया जाना चाहिए और इसे सार्वजनिक कार्य ठेके का हिस्सा माना जाना चाहिए।

किसी ठेके के प्रदान किए जाने के बाद, कानून द्वारा ठेका एजेंसी को ब्यूरो को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी:

- ठेकेदार का नाम और पता
- जिस तिथि को ठेका दिया गया था
- ठेके का अनुमानित डॉलर मूल्य

श्रम कानून के इस प्रावधान के अनुपालन में सहायता के लिए, श्रम विभाग के "ठेका देने की सूचना" फॉर्म (PW-16) की एक प्रति मूल प्रचलित दर शेड्यूल के साथ शामिल है, और इसे ऑनलाइन भी सबमिट किया जा सकता है।

ठेका एजेंसी को किसी भी लोक निर्माण प्रोजेक्ट के पूरा होने या रद्द होने के बर में ब्यूरो को सूचित करना होगा। श्रम विभाग का "प्रोजेक्ट के पूरा होने/रद्द करने की सूचना" फॉर्म (PW-200) मूल प्रचलित दर शेड्यूल के साथ शामिल है, और इसे ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।

घंटे

किसी भी लोक निर्माण प्रोजेक्ट के प्रदर्शन में लगे किसी ठेकेदार या उपठेकेदार के रोजगार में किसी भी श्रमिक, कर्मचारी या मैकेनिक को असाधारण आपातकाल के मामलों को छोड़कर किसी भी दिन आठ घंटे से अधिक या किसी भी सप्ताह में पाँच दिन से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रचलित दर शेड्यूल

ठेका एजेंसी को सभी प्रमुख ठेकेदारों को प्रचलित दर शेड्यूल की सभी प्रतियाँ प्रदान करनी होगी। बदले में, उन्हें प्रत्येक उपठेकेदार को प्रतियाँ प्रदान करनी चाहिए और एक शपथ पत्र प्राप्त करना होगा जो यह सत्यापित करता है कि शेड्यूल प्राप्त हुआ था।

श्रम आयुक्त प्रचलित दरों का वार्षिक संकल्प निर्धारित करता है। यह संकल्प 1 जुलाई से अगले वर्ष 30 जून तक प्रभावी है। सभी आबंटित प्रचलित दर शेड्यूल 1 जुलाई को स्वचालित रूप से नई संकल्पित वार्षिक दरों में अपडेट हो जाती हैं।

वार्षिक संकल्प और अपडेटेड आबंटित प्रचलित दर शेड्यूल, ये दोनों श्रम विभाग के वेबसाइट www.labor.ny.gov पर उपलब्ध हैं।

OSHA 10-घंटे का पाठ्यक्रम

कम से कम \$250,000 के लोक निर्माण प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले सभी कामगारों के लिए यह सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरा किया होना अनिवार्य है। इस आवश्यकता के प्रावधानों को बोली और अनुबंध दस्तावेज़ों में शामिल किया जाना चाहिए।

पेरोल और पेरोल रिकॉर्ड्स

प्रत्येक ठेकेदार और उपठेकेदार को झूठी गवाही देने के दंड के अंतर्गत मूल पेरोल या प्रतिलेख को सबक्राइब्ड और सत्य के रूप में पुष्टि करनी होगी।

कम से कम, लोक निर्माण प्रोजेक्ट पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेरोल में निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख होना चाहिए:

- नाम
- सोशल सिव्योरिटी नंबर (अंतिम चार अंक)
- वर्गीकरण (एक या अधिक) जिसमें कर्मचारी कार्यरत था
- भुगतान की गई प्रति घंटा मजदूरी दर (एक या अधिक)
- भुगतान या प्रदान किया गया पूरक
- प्रत्येक वर्गीकरण में काम किए गए घंटों की दैनिक और साप्ताहिक संख्या

प्रत्येक ठेकेदार और उपठेकेदार अपने पहले पेरोल जारी करने के 30 दिनों के अंदर और उसके बाद प्रत्येक 30 दिनों के भीतर, सदस्यता और झूठी गवाही के दंड के तहत सही होने की पुष्टि के लिए ठेका एजेंसी को मूल पेरोल की एक प्रतिलेख प्रस्तुत करेगा

पेरोल दाखिल करना, भुगतान की एक शर्त है। प्रमुख ठेकेदार किसी भी उपठेकेदार द्वारा प्रचलित मजदूरी या पूरक के किसी भी कम भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

सभी ठेकेदार या उनके उपठेकेदार अपने उपठेकेदार को लोक निर्माण ठेके में निर्दिष्ट प्रचलित दर शेड्यूल की एक प्रति प्रदान करेंगे।

ठेका एजेंसी को काम पूरा होने की तिथि से पांच साल के लिए पेरोल रिकॉर्ड एकत्र करने और बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है, साथ ही सत्यापित पेरोल एकत्र करने और वैधता के लिए उनकी समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होने के लिए अपने रोजगार में एक व्यक्ति को लिखित रूप में नामित किया जाता है।

रोक

ब्यूरो द्वारा निर्देशित किए जाने पर ठेका एजेंसी को धन पर रोक लगाना और उसे बनाए रखना आवश्यक है। ब्यूरो द्वारा सूचित किए जाने तक धन जारी नहीं किया जा सकता है।

संपर्क जानकारी

न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग
888-469-7365
www.labor.ny.gov